an>

Title: Need to provide foodgrains and kerosene under Targeted Public Distribution System to all the BPL families in Bihar.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में यह कहा गया है कि राज्य का यह प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह लोगों के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन-स्तर को उठाने के लिए प्रयास करे। हमारा संविधान यह स्पष्ट करता है कि लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनका पोषण-स्तर उठाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठायेगी। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था) के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि लोगों को उनकी स्थिति और आय के अनुरूप न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न की जरूरी मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसे गरीबी उन्मूलन की एक रणनीति के रूप में भी पहचाना गया। आरम्भ से यह तय किया गया था कि समाज के सभी वर्गों को राशन की दुकान से उचित मूल्य में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, परंतु जून, 1997 में भारत सरकार ने इस खुली हुइ व्यवस्था को लक्षित जन-वितरण प्रणाली में बदल दिया। जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि सरकारी रियायत (कम मूल्य का अनाज) का लाभ गरीबों और अति गरीब परिवारों को ही मिल सकेगा। अनाज के बाजार भावों के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखते हुए किसानों को उनकी लागत के अनुरूप न्यूनतम किंतु बेहतर दाम उपलब्ध करवाना, संकट के समय देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित करना, जन-कल्याणकारी योजनाओं के जरिये विभिन्न तबकों की खाद्यान्न संबंधी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य में जन-वितरण प्रणाली की दुकान के दुकानदारों के द्वारा लाभान्वितों को अनाज नहीं देकर कथित रूप से खुलेआम अनाज एवं केरोसिन तेल की कालाबाजारी करते हुए उच्च दरों पर बाज़ार में बेच दिया जाता है एवं यह क्रम लगातार चल रहा है जिसका सीधा प्रभाव आम गरीबों पर पड़ रहा है।

खासकर बिहार में अनाज के बैग में निर्धारित मात्रा से कम की आपूर्ति की जाती है, इस प्रकार हर हाल में गरीबों का ही शोषण होता है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु इस वितरण प्रणाली को चालू किया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करने वाले एवं इसमें संलिप्त बिचौलियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाये।